(वाद संख्या-3154/4/24/2020)

05.01.2021

प्रसंगाधीन मामला नालंदा, बिहारशरीफ जिलान्तर्गत राजगीर थाना मे पदस्थापित दारोगा विवेकानन्द झा व अन्य पांच पुलिसकर्मियों द्वारा दिनांक–16.05.2021 को परिवादी, अरविन्द प्रसाद, उसके 19 वर्षीया विवाहित पुत्री नीलम कुमारी व 10 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार के साथ अनावश्यक रूप से बिना किसी युक्तिसंगत आधार के मार–पीट कर उन्हें जख्मी किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **पुलिस अधीक्षक, नालंदा, बिहारशरीफ** के माध्यम से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजगीर के प्रतिवेदनानुसार, जांचोपरान्त यह पाया गया है कि **उपरोक्त जख्मी व्यक्तियों के संबंध में थाना मे किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी और ना ही राजगीर थाना के पु0अ0नि0 विवेकानंद झा को उपरोक्त जख्मी व्यक्तियों के धर पर जाने के लिए कोई निर्देश ही दिया गया था । जांच प्रतिवेदन के अनुसार पु0अ0नि0 विवेकानंद झा द्वारा बिना किसी कारण के ही उक्त लोगों के साथ अनावश्यक रूप से मार–पीट किया गया जो उक्त पुलिसकर्मी के मनमानेपन आचरण को परिलक्षित करता है तथा यह कृत्य धोर कर्त्तव्यहीनता व अनुशासनहीनता को भी परिलक्षित करता है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजगीर द्वारा** पुलिस अधीक्षक, नालंदा, बिहारशरीफ से उक्त दोषी पुलिसकर्मी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की गई है। लेकिन पुलिस अधीक्षक, नालंदा, बिहारशरीफ के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं हो पा रहा है कि उक्त दोषी पुलिसकर्मी के विरूद्ध, उनके स्तर से, कोई, कार्रवाई की गई है अथवा नहीं ।

पुलिस अधीक्षक, नालंदा, बिहारशरीफ से इस संबंध में दिनांक–07.05.2021 के पूर्व स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन की मांग की जाय कि उनके स्तर से उक्त दोषी पुलिसकर्मी (पु0अ0नि0, विवेकानंद झा, राजगीर थाना) के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

कार्यालय पीड़ित अरविन्द प्रसाद को भी राज्य आयोग के समक्ष उपरोक्त निश्चित तिथि को उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया जाय।

पुलिस अधीक्षक, नालंदा, बिहारशरीफ को भेजे जाने वाले पत्र के साथ आज पारित आदेश की प्रति भी अनुलग्नित किया जाय।

संचिका दिनांक 07.05.2021 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक